न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :–35 / 2024
निर्णय दिनांक :–31.01.2025
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. चेतन पुत्र रामलाल
2. सुरजमल पुत्र रामलाल, जाति कुमावत, निवासी नारेड़ा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभू पुत्र स्व. सीताराम
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. सीताराम
3. सुरेश पुत्र स्व. सीताराम
   जाति महाजन, निवासी नारेडा, तहसील फागी, जिला जयुपर।
4. केदार पुत्र किशनलाल
5. बद्रीलाल पुत्र हनुमान
6. रामसहाय पुत्र भूरा
7. ललिता देवी पत्नी चेतन कुमावत
8. लाली देवी पत्नी सुरजमल
9. कमलेश पुत्र रामेश्वर
10. शैतान पुत्र रामेश्वर
    समस्त जातियान कुमावत, निवासीयान ग्राम नारेड़ा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
11. मालचन्द पुत्र राधाकिशन
12. रामअवतार पुत्र भूरा
13. सरवण पुत्र बसन्तीलाल
    समस्त जातियान कुम्हार (प्रजापति), निवासी ग्राम नारेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
14. गिर्राज पुत्र छीतरपुरी
15. रमेश पुत्र छीतरपुरी
    जातियान गुसाई, निवासी ग्राम नारेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
16. नारायणसिंह पुत्र मुन्शीराम, जाति अहीर (यादव) निवासी डालनिया तहसील फागी जिला जयपुर।
17. रमेशचन्द पुत्र रोडूराम
18. रामसिंह पुत्र रोडूराम
19. रामअवतार पुत्र रोडूराम
    जातियान जाट, निवासी डालनिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
20. दिनेश पुरी गोस्वामी पुत्र मदनपुरी
21. बन्नापुरी पुत्र बोदू
22. रमेश पुरी पुत्र मदनपुरी
23. काना पुरी पुत्र स्व. लालापुरी
24. सुरेश पुरी पुत्र स्व. लालापुरी
25. ममता पुत्री स्व. लालापुरी
26. बरदी देवी पत्नी स्व. लालापुरी
27. गुलाब देवी पत्नी मदनपुरी
    समस्त जातियान गुसाई, निवासी ग्राम नारेड़ा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
28 तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला दूदू।
29. उपतहसीलदार निमेड़ा, तहसील फागी, जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

(2)

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री सीताराम सैनी वकील प्रार्थी
श्री पप्पूलाल सैनी वकील अप्रार्थी सं. 4 लगा. 9 व 13
श्री विनय कुमार जैन वकील अप्रार्थी सं. 20, 22, 23, 24, 26, 27
पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 28, 29

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत्

निर्णय दिनांक :–31.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 335 के आराजी खसरा नम्बर 1274, रकबा 03794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1277 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1278 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1280 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1281 रकबा 2.5290 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, कुल किता 12 कुल रकबा 6.5755 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नारेडा तहसील फागी, जिला–जयपुर मे स्थित है जिसकी प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस में पडोसी खातेदार है एवं ग्राम नारेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 1269, 1272, 1273, के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 खसरा नम्बर 1264, 1265 के अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 13, खसरा नम्बर 1286, 1301 के अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 19, खसरा नम्बर 1302/1, 1290 के 20 लगायत 27 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अप्रार्थीगण आये दिन हर वर्ष मेर–कोर को दबाते चले आ रहे है। आये दिन मेर–कोर की सीमाओं को लेकर लडाई–झगडा करते रहते है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के रकबे को दबा रखा है इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 308 नया 335 के खसरा नम्बरों का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2023 को करवा लिया है, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक बुवाई–जुताई नहीं करने देते है। आये दिन मेर–कोर को लेकर पक्षकारान् गें विवाद का तनाजा बना हुआ है जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को जबरन सीमाओं को दबा रखा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुलिस इमदाद दिलवाया जाना कानूनन न्यायोचित है ताकि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हो सके। उक्त आराजीयात बाबत् प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र तहसीलदार फागी के समक्ष पेश किया। तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/भू.अ./23/400 दिनांक 06.06.2023 की पालना में उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 को प्रस्तुत की गई जिस पर मौके पर समक्ष प्रार्थीगण एवं गाँव के लोग व पडोसी खातेदारों ने सोच–समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं अप्रार्थीगण को सूचना देने के बाद भी जानबुझकर मौके पर उपस्थित नहीं हुये। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2023 की आपत्ति अप्रार्थीगण ने वेतन आज तक नहीं की है यल्कि उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक

लगतार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी.

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारीत निकलती है। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दिलवाई जाना आवश्यक है। अगर उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई जाती है तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जायेंगे जिससे आपस में लडाई–झगडा होगा एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दी जाकर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है। उक्त पत्थरगढ़ी में नियमानुसार होने वाला खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तत्पर है। उक्त आराजीयात् पर दिनांक 10.03.2024 को प्रार्थीगण अपनी फसल की देखरेख करने गये तो अप्रार्थीगण ने मेर–कोर को लेकर झगड़ा करने पर उतारू हो गए एवं फसल कटाई करने में बाधा उत्पन्न की एवं ऐलानिया धमकी दी कि हम जबरन तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेगें, तुम पत्थरगढ़ी करवा लो अन्यथा हम तुम्हारी जमीन को काश्त नहीं करने देगें। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को असहनीय हानि होगी, व्यर्थ में मुकदमेंबाजी बढ़ेगी एवं अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा, इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायसंगत है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 10.03.2024 को उत्पन्न हुआ है जो अंदर मियाद प्रस्तुत है।उक्त विवादित आराजी एवं पक्षकारान् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से सुनवाई का श्रीमान् को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 4 लगा. 9 व 13 वकील श्री पप्पूलाल सैनी तथा अप्रार्थी सं. 20, 22, 23, 24, 26, 27 वकील श्री विनय कुमार जैन वकील उपस्थित हुए।

अप्रार्थी सं. 28, 29 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। तथा अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नारेडा की जमाबंदी संवत 2074–78 के खाता सं0 335 के ख. नं. 1274 कुल किता 12 रकबा 6.5155 है. चेतन, सूरजमल पि0 रामलाल हिस्सा पूर्ण जाति कुमावत सा. देह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/भू.अ./23/400 दिनांक 06.06.2023 की पालना में दिनांक 15.06.2023 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान पटवार हल्का नारेडा के द्वारा कर दिया गया है। उक्त कथन के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पुलिस इमदाद की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाई जाये ताकि वाद विवाद होने की सम्भावना नही हो।

अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25 के विरूद्ध दिनांक 20.06.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

वकील अप्रार्थी सं. 20, 22, 23, 24, 26 एवं 27 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर बताया कि उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण ने अन्य खसरा नं. के साथ–साथ ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 की भूमि वाके ग्राम नारेडा तहसील फागी के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा है। ग्राम नारेडा में ख.नं. 1211 है जो गै.मु. रास्ता हैं उक्त रास्ते से ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 की दक्षिणी सीमा से होते हुए एक रास्ता खसरा नम्बर 125 में स्थित नदी में जाता है। उक्त ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 में स्थित रास्ते से होते हुए सभी ग्रामवासियों के पशु सैकडों वर्षो से पानी पीने के लिए नदी पर जाते है एवं नदी के आसपास के खेतों में जाने के काम में भी आता है। ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 में स्थित रास्ता कदीमी रास्ता है जो जमाना जागीर से नदी तक एवं आसपास के खेतों जाने के काम आता रहा है। जब प्रार्थीगण के पिता रामलाल ने ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 में स्थित कदीमी रास्ते को रोकने का प्रयास किया तो ग्रामवासियों ने एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत नारेडा में पेश किया। जिस पर ग्राम पंचायत ने मौका देखा ग्रामवासियों के एवं प्रार्थीगण के पिता

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी

रामलाल के बयान लिए एवं दिनांक 08.09.2004 को सर्वसम्मति से ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 में कदीमी रास्ते का स्थित होना एवं रास्ते का उपयोग किया जाना निर्णित किया एवं तहसीलदार को निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के निर्णय की पालना में रास्ता खुलासा करवाया जावें। उपखण्ड अधिकारी महोदय फागी ने रास्ते को खुलासा करवाये जाने के निर्देश तहसीलदार फागी को दिये। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण के पिता रामलाल ने एक अपील न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जयपुर में उनवानी रामलाल बनाम बन्नापुरी मु0 नं0 61/2005 पेश की जिस पर बाद सुनवाई न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जयपुर ने दिनांक 12.08.2009 को ग्राम पंचायत के निर्णय को सही मानते हुए प्रार्थीगण के पिता रामलाल की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण के पिता ने एक निगरानी टी0ए0 सं. 2131/10 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में उनवानी रामलाल बनाम बन्नापुरी वगै0 प्रस्तुत की जो विचाराधीन है। जब प्रार्थीगण के पिता ने ग्राम पंचायत के निर्णय के बावजूद भी ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 में कदीमी रास्ते में ग्राम वासियों के उपयोग–उपभोग में बाधा पहुंचाना जारी रखा तों ग्रामवासियों ने एक जनहित वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश दूदू में उनवानी बन्नापुरी बनाम रामलाल बाबत सुखाधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया एवं साथ में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत की जिसमें बाद सुनवाई मान्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश दूदू ने मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश भी दिये है। मान्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश दूदू का आदेश अन्तिम आदेश है जिसके विरूद्ध कोई अपील आज तक नहीं की गई है एवं मूल वाद आज भी न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट फागी में विचाराधीन है। प्रार्थीगण के पिता रामलाल ने उक्त आराजी ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 की भूमि को लेकर स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, फागी में उनवानी रामलाल बनाम बन्नापुरी मुकदमा नं. 122/04 पेश किया । जो अंतरित होकर नवसृजित न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी के यहां मु० नं. 474/2008 बना एवं बाद सुनवाई न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2009 को वाद खारिज कर दिया, जो अन्तिम निर्णय है जिसके विरूद्ध कोई अपील प्रार्थीगण के पिता रामलाल या प्रार्थीगण ने नहीं की।अब प्रार्थीगण उपरोक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुये कदीमी आम रास्ते की भूमि को अपने कब्जे में करने के उद्देश्य से यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो चलने योग्य नही है। जब एक ही भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो नया प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है एवं खारिज किये जाने योग्य है।अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर ख.नं. 1281, 1282 एवं 1285 की हद तक उक्त पत्थरगढी को खारिज करने के आदेश प्रदान करें।

वकील प्रार्थी ने प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र में दर्ज इबारत खसरा नम्बर 1281, 1282 एवं 1285 भूमि वाके ग्राम नारेड़ा, तहसील फागी में स्थित भूमि की पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा है कथन स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 मे दर्ज इबारत जिस प्रकार से तहरीर व तकमील की गई है, अस्वीकार है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1281, 1282, 1285 में किसी प्रकार का कोई रास्ता पहले भी नहीं था एवं अभी वर्तमान में भी कोई रास्ता नहीं रहा है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि से जबरन रास्ता निकालना चाहते है। नदी में जाने का व आम जनता के लिये अन्य रास्ते सुचारू रूप से उपलब्ध व चालू है लेकिन

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि को खुर्द बुर्द कर खातेदारी भूमि में बोई गई फसलों को नुकशान पहुंचाने की नियत से उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही को रूकवाने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये अप्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में दर्ज इबारत जिस प्रकार से तहरीर व तकमील की गई है अस्वीकार है। ग्राम पंचायत का जो निर्णय किया गया है वह सर्वथा गलत है तथा ग्राम पंचायत की समस्त कार्यवाही गलत व फर्जी तरीके से बिना अधिकार के की गई है। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के निर्णय के विरुद्ध अपर जिला कलेक्टर महोदय जयपुर के समक्ष विधिवत निगरानी प्रस्तुत की है जो मान्य न्यायालय अपर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उक्त निगरानी खारिज कर दी गई जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है, प्रार्थीगण के द्वारा विधिवत् अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है जिसकी, मौका रिपोर्ट 15.06.2023 के आधार पर मान्य न्यायालय में पत्थरगढी करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त प्रार्थना पत्र समरी प्रक्रिया है जिसको उक्त न्यायालयों में विचाराधीन अनुतोष अलग–अलग होने से कानूनन रोका जाना न्यायोचित नहीं है पटवारी व तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 मे भी खसरा नम्बर 1281, 1282, 1285 में कोई रास्ता नहीं बताया है जब उक्त खसरा नम्बरान में रास्ता ही मौजूद नहीं है तो अप्रार्थीगण उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र के अनुसार विचाराधीन वादों की आड़ में पत्थरगढी की कार्यवाही मान्य न्यायालय में नहीं रूकवा सकते है मात्र अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र को देरीना करने की नियत से पेश' किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 में दर्ज इबारत में प्रार्थीगण के पिता रामलाल के द्वारा एक अपील मान्य न्यायालय अपर जिला कलेक्टर जयपुर व निगरानी टी.ए संख्या 2131/2010 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है इबारत स्वीकार है, शेष कथन जिस प्रकार से तहरीर व तकमील की गई है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 06 मे दर्ज इबारत जिस प्रकार से तहरीर व तकमील किया गया है अस्वीकार है माननीय सिविल न्यायालय फागी में उनवानी वाद बन्नापूरी बनाम रामलाल वगै. विचाराधीन है लेकिन उक्त प्रकरण में मान्य न्यायालय द्वारा वर्तमान में कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है इसलिये अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।7. यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 7 मे दर्ज इबारत से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रभावित नहीं हो रहा है उक्त आराजी खसरा नम्बर 1281, 1282, 1285 का प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त आराजी में से कोई कदीमी रास्ता नहीं है न ही वर्तमान में है मौके पर उक्त आराजी पर फसल काश्त हो रखी है मात्र अप्रार्थीगण अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ती के लिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को विवाधित करने की नियत से उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र को पैरा संख्या 8 मे दर्ज इबारत अस्वीकार है। अतः जवाब प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 20, 22, 23, 24, 26 एवं 27 का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाया जावे। नवाजिश होगी।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....6

उपखण्ड अधिकारी
फागी.

(6)

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 वाके ग्राम नारेडा खाता सं0 335 में प्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 03 मे अंकन किया है कि ख0न0 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283, 1284 का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2023 को करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। तथा खसरा नंबर 1281, 1282, 1285 का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। अप्रार्थी ने भी अपने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र मे भी उक्त ख0न0 की पत्थरगढी किये जाने पर आपत्ति प्रकट की है। इसलिये ख0न0 1281, 1282, 1285 की पत्थरगढी किया जाना उचित नही समझते है। उपर्युक्त तथ्यो के आलोक मे हम अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी आंशिक स्वीकार कर खसरा नं. 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283, 1284 की पक्षकारान की उपस्थिति मे पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 335 के आराजी खसरा नम्बर 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283, 1284 भूमि वाके ग्राम नारेडा तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। तथा खसरा नं. 1281, 1282, 1285 का सीमाज्ञान नहीं होने से इन खसरा नंबरान की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते